

## Regarding inclusion of New Crop/ Varieties

1. Application Form
2. Old License Photocopy.
3. Chalan Rs. 1000/-
4. Trail Reports (Research and Hybrid Variety)
5. Breeder and Morphological Character
6. Sapath Patra
7. Production Programme
8. Seed Sale Reports
9. Gazette Notifications

To,

**Licensing Authority  
Directorate of Agriculture  
Chhattisgarh State, Raipur (C.G.)**

Subject: Regarding inclusion of New Crop/ Varieties in our old License  
No. .... Dated .....

-----00-----

**Respected Sir,**

Please inclusion of New Varieties/Crops in our old License No.  
..... Dated ..... We are submitting all documents for the same.

S.No	Crops	Variety	Seed Availability (Qtls)	Remarks

Thanking You

Date:- .....

Place:- Raipur

**Your's Faithfully**

**लेखाशीर्ष**

0435 - अन्य कृषि कार्यक्रम

800 - अन्य प्राप्तियों

0242 - नियंत्रित वस्तुओं पर लायसेंस (बीज)

0243 - विविध

0244 - प्रशासकीय प्रभार

To,

**The Director Research,  
IGKV. Raipur**

Subject: Regarding trial of Hybrid/Research Paddy Crop under PPP for  
Chhattisgarh State.

Respected Sir,

We ..... want to trial of Research .....  
Crop under PPP for Chhattisgarh State. Details of Crops/Varieties as below.

S.No.	Crop	Variety	Remark

Kindly intimate to us for further necessary action as below  
mentioned address.

**Thanking You**

Date

Place:- Raipur

Your's Faithfully

(Signature)

### शपथ-पत्र

मैं—..... आत्मज —..... आयु — वर्तमान में —..... (पद)  
पर कार्यरत हूँ तथा मेरा निवास स्थान —..... मोबाईल नंबर—..... है  
और मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन प्रस्तुत करता हूँ :-

1. वर्ष 2011-12 की चेक लिस्ट अनुसार बिन्दु- 14 के अनुसार अनुसंसाधित किस्म (रिसर्च) एवं संकर किस्म (हाईब्रिड) छत्तीसगढ़ राज्य या क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त है अथवा नहीं, इसका परीक्षण स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निर्देशालय से दो वर्ष टेस्ट रिपोर्ट की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र मय शुल्क संचालक अनुसंधान सेवाएँ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में प्रस्तुत किया गया है।
2. चूँकि पूर्व वर्षों में उपरोक्त प्रावधान के संबंध में जानकारी नहीं होने के कारण स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से हाईब्रिड/रिसर्च किस्मों के संबंध में फारफारमेंस टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं किया जा सका है। वर्ष 2015-16 में कृषकों को हाईब्रिड/ रिसर्च बीज बेचने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस कारण इस वर्ष बीज विक्रय लाईसेन्स बिना परीक्षण टेस्ट रिपोर्ट के विक्रय हेतु अनुमति देने का कष्ट करें। इस संबंध में वर्ष 2015-16 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से परीक्षण हेतु निर्धारित आवेदन पत्र मय शुल्क जमा कर दिया गया है। यदि आगामी दो वर्षों में (2016-17 एवं 2018-19) टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संबंधित कंपनी को अनुज्ञा पत्र निरस्त करने पर कंपनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. अनुसंसाधित किस्म (रिसर्च) एवं संकर किस्म (हाईब्रिड) के संबंध में कृषकों को किसी भी प्रकार की क्षति/नुकसान होती है तो संबंधित कंपनी/विक्रेता संयुक्त रूप से कृषकों को क्षतिपूर्ति देने हेतु Proforma- III के पैरा ..... "यदि " बीज उत्पादक कंपनी द्वारा निर्धारित कृषि कार्यमाला का कृषक द्वारा पूर्णतः पालन किया गया हो" यह शर्त बाध्यकारी नहीं होगा। तदनुसार कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही करने पर कंपनी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

**शपथकर्ता**

**सत्यापन:-**

उपरोक्त कंडिका 1-3 तक की जानकारी मेरे ज्ञान में सही एवं सत्य है।  
जिसे मैं अपने हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित कर रहा हूँ।

स्थान :- .....

दिनांक :- .....

**शपथकर्ता**

**शपथ-पत्र**

1. मैं .....आत्मज ..... आयु ..... वर्तमान में ..... पद पर ....  
..... तथा मेरा निवास स्थान ..... है। मो.नं. ....  
... शपथ करता हूँ कि आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अधीन या जारी किये गये किसी आदेश के अधीन बीज उत्पादन संस्था/बीज व्यवसायी का पिछले तीन वर्षों में दोषी नहीं पाये गये है।
2. शपथ करता हूँ कि बीज व्यवसाय एवं उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये जारी बीज अधिनियम-1966 बीज नियम 1968 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 में निहित प्रावधान का पूर्णतः पालन करूँगा।
3. शपथ करता हूँ कि अनुशंसित किस्म/अनुसंधानित किस्म (रिसर्च) एवं शंकर बीज (हायब्रिड) के संबंध में प्रस्तुत जानकारी भिन्न एवं मात्रात्मक दृष्टिकोण से किसी प्रकार से उपभोक्ता को हानि होती है या किसी प्रकार के कीट या रोग लगने से उपभोक्ता या क्षेत्र विशेष के कृषकों को प्रभावित होने की स्थिति में उत्पादक संस्था एवं कंपनी/विक्रेता संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. शपथ करता हूँ कि विक्रित किये जाने वाले बीजों में बीटी जिन्स नहीं है।

**शपथकर्ता**

सत्यापन:-

उपरोक्त कांडिका 1-3 तक की जानकारी मेरे ज्ञान में सही एवं सत्य है। जिसे मैं अपने हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित कर रहा हूँ।

स्थान - .....

दिनांक - .....

**शपथकर्ता**

